न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 3, गाजियाबाद।

द्वितीय जमानत आवेदन संख्या–92/2026 संगणक पंजियन संख्या–1372/2026

UPGZ010031362026

आसिफ पुत्र मुस्तजाफ, निवासी–जे०जे० कॉलोनी, के–ब्लॉक, न्यू सीमापुर, दिल्ली----------आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य----------अभियोजक पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या–620/2025
धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट
थाना–लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद

17.03.2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र, मु०अ०सं०–620/2025 धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–लोनी बॉर्डर, जिला गाजियाबाद में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त की ओर से रिहान पुत्र नौशाद का शपथपत्र प्रस्तुत करके कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र है, उसका कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) को सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष हैं उसे झूठा फसाया गया है। अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन दिनांकः 12.11.2025 को माननीय न्यायालय से निरस्त हो चुका है तथा उस दौरान उपरोक्त मामले की विवेचना लंबित थी तथा आरोप–पत्र भी प्रेषित नहीं किया गया था। उपर्युक्त घटना में अभियुक्त का कार का चालक बताया गया है। अभियुक्त कार चलाकर अपना व अपने परिवार का पालन–

पोषण करता है। अभियुक्त को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि जिन सवारियों को वह अपनी कार में बैठाता है, उनका सामान चेक करे। सह–अभियुक्त इमरान की जमानत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांकः 13.02.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्त उक्त प्रकरण में कारागार में निरुद्ध है। अभियुक्त पर धारा–50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। प्रार्थी जिस कार का चालक है, वह उसकी कार नहीं है। वह उक्त कार को मजदूरी पर चलाता है। उक्त कार से किसी प्रकार के मादक पदार्थ की बरामदगी नहीं हुई है और न कथित घटना की पुलिस ने वीडियोग्राफी करने से पूर्व तैयारी की थी, न ही घटनास्थल पर किसी एफ०एस०एल० टीम को बुलाया था। गाड़ी से संयुक्त रूप से 210 ग्राम चरस बरामद होना बताया है जो अल्प मात्रा 100 ग्राम से ज्यादा है तथा वाणिज्यिक मात्रा 01 किलोग्राम से कम है। उक्त प्रकरण का आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अभियुक्त एक बहुत ही गरीब व्यक्ति है जो कार चलाकर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। अभियुक्त अपनी माकूल जमानत देने के लिये तैयार है। अतः जमानत की याचना की गयी।

5– अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र के सम्बंध में विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्तगण को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करते हुए कार की तलाशी लेने पर 210 ग्राम चरस व 14,32,500/– रूपयों की बरामदगी हुई हैं तथा उक्त रूपयों का उपयोग आवेदक अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा मादक पदार्थ के क्रय–विक्रय में किया जाता है। आवेदक अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन हस्तगत न्यायालय द्वारा पूर्व में निरस्त किया जा चुका है तथा आवेदक अभियुक्त ने द्वितीय जमानत आवेदन में भी कोई नवीन आधार प्रस्तुत नहीं किये हैं। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दांडिक) ने आवेदक/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह भी कथन किया है कि इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा नशीले पदार्थों को अवैध रूप से बेचे जाने के कारण ही आजकल के नवयुवक व नवयुवतियाँ उसका सेवन कर नशे के आदी हो जाते हैं, जिससे उनके भविष्य व कैरियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा वह अपने लक्ष्य एवं मार्ग से भटक जाते हैं, जो कि समाज के लिये तथा देश के लिये अत्यंत घातक है। अतः आवेदक/अभियुक्त के जमानत आवेदन को निरस्त किया जाये।

6– उभयपक्ष के तर्कों व थाना हाजा द्वारा प्रस्तुत केस डायरी व अन्य प्रपत्रों के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार दिनांकः 21.10.2025 की रात्रि 01.40 बजे से 02.00 बजे के मध्य पुलिस हमराही बल द्वारा आवेदक अभियुक्त आसिफ व अन्य सह–अभियुक्तगण इमरान एवं पिंटू को पुलिस बल द्वारा कार से यात्रा करते समय कार रोककर आवेदक अभियुक्त व सह–अभियुक्त इमरान की गिरफ्तारी करते हुए कार की तलाशी लेने पर उक्त कार से 210 ग्राम नाजायज चरस तथा 14,32,500/– रूपये कार से बरामद होना कहा गया है एवं उक्त बरामद रूपये मादक पदार्थ के क्रय–विक्रय में उपयोग करना अभिवर्णित है। उक्त घटना में बरामद रूपयों का स्पष्टीकरण जमानत आवेदन में आवेदक अभियुक्त की ओर से नहीं दिया गया है। उक्त आपराधिक घटना में बरामदगी व गिरफ्तारी की कार्यवाही वीडियोग्राफी करते हुए किया जाना दर्शित किया गया है। आवेदक अभियुक्त व सह–अभियुक्त को मौके से घटनास्थल पर ही माल मुकदमाती सहित गिरफ्तार किया जाना कहा गया है। आवेदक अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन हस्तगत न्यायालय द्वारा दिनांकः 12.11.2025 को गुणदोष पर सुनवाई करते हुए निरस्त किया जा चुका है तथा हस्तगत द्वितीय जमानत आवेदन में कोई ऐसा नवीन तथ्यात्मक आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके आधार पर आवेदक अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किया जाए। प्रस्तुत मामले की प्रकृति, तथ्यों, परिस्थितियों व गम्भीरता आदि को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **आसिफ** की ओर से मु०अ०सं०–620/2025 धारा–8/20/29 एन०डी०पी०एस० एक्ट, थाना–लोनी बॉर्डर, जिला–गाजियाबाद के मामले में प्रस्तुत **द्वितीय जमानत आवेदन** सं०–92/2026, निरस्त किया जाता है।

(सुशील कुमार–चतुर्थ)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं०–03,
गाजियाबाद।
J.O. Code– UP6480